डीजी परिपत्र संख्या– 17/2022

देवेन्द्र सिंह चौहान
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय,
गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

दिनांकःजुलाई01 ,2022

विषयः मादक पदार्थो की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचनाओं के आदान–प्रदान तथा विभिन्न एजेन्सियों के मध्य परस्पर समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देश।

―――――

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि मादक पदार्थो के अवैध उत्पादन, व्यापार एवं सेवन की रोकथाम एवं निवारण हेतु Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985) लागू है। इस अधिनियम के सफल कार्यान्वयन एवं तस्करी की प्रभावी रोकथाम हेतु समय–समय पर मुख्यालय स्तर से आवश्यक दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. आप सहमत होगें कि इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु पूर्व से स्थापित नारकोटिक्स सेल को और अधिक सक्रिय किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु आप सभी को अनुपालनार्थ कुछ बिन्दु अनुवर्ती प्रस्तरों में सुझाए जा रहे हैं:–

- मादक पदार्थो की तस्करी में अन्तर्राज्यीय अपराधी के गिरफ्तार किये जाने पर जनपद/कमिश्नरेट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त का यह दायित्व होगा कि उसकी सूचना सम्बन्धित जनपद/राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अवश्य दी जाये। तदोपरान्त इसकी सूचना इस मुख्यालय को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।
- जनपद में मादक पदार्थो की भारी मात्रा में बरामदगी होने पर ऐसे अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो एवं अन्य एजेन्सियों के अधिकारियों को अवश्य सम्मिलित किया जाये।
- मादक पदार्थ के अवैध व्यापार में संलिप्त गैंग/तस्कर/फाइनेन्सर आदि के बारे में सूचनाओं का संग्रह किया जाये तथा उस सूचना को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को भी साझा किया जाये।
- बरामद मादक पदार्थो के स्रोतों का पता लगाकर मुख्य अभियुक्त/गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाये।
- मादक पदार्थो के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों का आपराधिक ब्यौरा तैयार करते समय इन अपराधियों के विरूद्व अन्य जनपद/अर्न्तजनपदीय/अर्न्तराज्यीय स्तर पर पंजीकृत अपराधों को भी सम्मिलित करते हुए डोजियर तैयार किया जाये तथा इस डोजियर को जनपद में अभिलेखार्थ रखते हुए डोजियर इस मुख्यालय को भी प्रेषित किया जाये।
- ऐसे सक्रिय अपराधियों की अद्यतन सूची पुलिस आयुक्त कार्यालय/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में रखी जाये तथा इन अपराधियों के विरूद्व योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाये।

- जनपद के बाहर के ऐसे अपराधी जो मादक पदार्थो के अपराधों में संलिप्त हों उनके मूल निवास के थाना/जनपद से भी सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाये। अन्तर्राज्यीय व अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के सम्बन्ध में प्रदेश एस0टी0एफ0 से समन्वय स्थापित कर सहयोग लिया जाये।
- जनपद में भारी मात्रा में बरामद मादक पदार्थो के सम्बन्ध में केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नई दिल्ली, क्षेत्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरों लखनऊ, सीमा शुल्क कार्यालय, एस0एस0बी0, आसूचना ब्यूरो, उ0प्र0 आबकारी, औषधि नियन्त्रक, प्रदेश एस0टी0एफ0 एवं अपर पुलिस महानिदेशक जोन्स एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचना प्रेषित की जाये।
- यदि जनपद में मादक पदार्थो की तस्करी का अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नई दिल्ली, क्षेत्रीय स्वापक नियंत्रण ब्यूरों लखनऊ, सीमा शुल्क कार्यालय, एस0एस0बी0, आसूचना ब्यूरो, उ0प्र0 आबकारी, औषधि नियन्त्रक, प्रदेश एस0टी0एफ0 को सूचित कर समन्वय स्थापित किया जाये एवं अपराधी की पूछताछ आख्या सम्बन्धित विभागों सहित इस मुख्यालय को भी प्रेषित की जाये।
- एन0डी0पी0एस0 के ऐसे प्रकरण जिनमें अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया हो एवं उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थो की बरामदगी की गयी हो या एन0डी0पी0एस0 के अवैध व्यापार में संलिप्त हों, ऐसे मामलों को एन0सी0बी0 (नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो) को संदर्भित किया जाये। भारत सरकार के अधीन कार्यरत नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) जिसके पास सूचनाओं का डेटाबेस उपलब्ध है और डेटा को प्राप्त करने हेतु एन0सी0बी0 अधिकृत है, के माध्यम से समन्वय स्थापित कर यथा आवश्यक कार्यवाही की जाये।
- मादक पदार्थो में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों में कृत कार्यवाही सम्बन्धी सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अपर पुलिस महानिदेशक जोन के माध्यम से संलग्न प्रारूप में इस मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

3. मैं चाहूँगा कि आप सभी इन निर्देशों का शुद्ध अन्तःकरण से पालन करते हुए अपने अधीनस्थों से भी इनका अनुपालन करायें, जिससे इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने का प्रभाव धरातल पर मूर्त रूप ले सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

Devendra 01/7/2022

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

1. पुलिस आयुक्त,
   कमिश्नरेट–लखनऊ/कानपुर/वाराणसी/गौतमबुद्धनगर।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक(कानून एवं व्यवस्था), उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।